संख्या 3406 / I–व.या.वि. / 2001

प्रेषक,

डा. आर.एस.टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
उत्तरांचल शासन, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग, दिनांक, देहरादून 15 जून, 2001

विषय : उत्तरांचल में उत्तरांचल हरियाली दिवस (5 जुलाई, 2001) तथा उत्तरांचल हरियाली अभियान (5 जुलाई, 2001 से अगस्त, 2001) का मनाया जाना।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई से वर्षाकाल में वन महोत्सव के अन्तर्गत वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाता है जिसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों, संस्थानों, संस्थाओं तथा विभागों को हरीतिमा के कार्य से जोड़कर पौधारोपण कराया जाता है। उत्तरांचल राज्य बनने के पश्चात यह नये राज्य का प्रथम अभियान होगा जिसकी अलग पहिचान बनाने के लिए इसे उत्तरांचल हरियाली अभियान का नाम देने तथा 5–7–2001 को उत्तरांचल हरियाली दिवस मनाये जाने का शासन ने निर्णय लिया है। उत्तरांचल हरियाली अभियान दिनांक 5–7–2001 को आरम्भ होकर 31–8–2001 तक चलाया जायेगा।

2– शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि 5–7–2001 को उत्तरांचल हरियाली दिवस प्रत्येक जिला, तहसील तथा विकास खण्ड मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से मनाया जाये। अन्य स्थानों पर भी इस तिथि को आयोजन किये जा सकते हैं, इसके बाद 5–7–2001 से 31–8–2001 तक वन रेंज मुख्यालय, वन विभाग के 2001 के वृक्षारोपण स्थलों, बीजारोपण स्थलों, स्कूल, कालेजों, विश्विद्यालय, पुलिस थाना तथा उद्योगों के परिसरों, सार्वजनिक पार्कों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों में पौधारोपण तथा बीजारोपण के द्वारा वह हरियाली अभियान चलाया जायेगा।

3– दिनांक 5–7–2001 को आयोजित होने वाले उत्तरांचल हरियाली दिवस समारोह का कार्यक्रम, स्वागत भाषण, अध्यक्षीय सम्बोधन, मुख्य अतिथि का सम्बोधन, धन्यवाद ज्ञापन, वृक्ष पूजा तथा पौधरोपण एवं बीजारोपण रखा जाय जिसमें विशिष्ट अतिथियों से उनकी अध्यक्षता एवं मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने हेतु समय लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाय। नैनीताल में महामहिम राज्यपाल उत्तरांचल से अनुरोध किया जाय क्योंकि वहां पर पहले से ही महामहिम द्वारा वन महोत्सव अभियान का उद्घाटन किये जाने की परम्परा रही है। देहरादून में इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से समय प्राप्त किया जाय। अन्य जनपदों में माननीय अध्यक्ष विधानसभा, जिलों के प्रभारी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को मुख्य अतिथि तथा अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित तथा ब्लॉक मुख्यालय में भी इसी प्रकार का आयोजन 5–7–2001 को आयोजित किया जाय जिसमें सम्बन्धित क्षेत्र प्रमुख से भी समय देने का अनुरोध किया जाय।

4– 5–7–2001 से 31–8–2001 के बीच की अवधि में रेंज मुख्यालयों में, वन विभाग के वृक्षारोपण स्थलों, बीजारोपण स्थलों तथा अन्य उपयुक्त स्थलों पर पौधारोपण का कार्य आरम्भ करते समय इस प्रकार का समारोह आयोजित किया जाय जिसमें नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, वन पंचायत, युवक मंगलदल, महिला मंगल दल, संयुक्त वन प्रबन्ध समिति, स्वयं सेवी संस्थाऐं, स्कूल–कालेजों, सेना, पुलिस, एस0 एस0 बी0, आई0 टी0 बी0 पी0 आदि को यथारिक्त सहभागी बनाया जाय। इसी प्रकार वन विभाग के वृक्षारोपण स्थलों में अन्तिम पौध के रोपण के लिए भी किसी विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रित कर उनसे एक संक्षिप्त समारोह में अन्तिम पौध का रोपण कराकर रोपावनी पंजी में टिप्पणी अंकित करने का अनुरोध कर लिया जाय तथा रोपावनी क्षेत्र के फोटोग्राफ लेकर भी पंजी में चस्पा कर दिये जायें। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण क्षेत्र के समीप सार्वजनिक स्थल पर संकेतपट लगाकर उनपर रोपण से संबंधित विवरण जैसे क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल, पौधों की संख्या, कार्यप्रभारी कर्मचारी का नाम तथा कार्य की लागत का विवरण भी अंकित किया जाय ताकि वन विभाग द्वारा किये गये कार्य की पारदर्शिता बनी रहे।

5– उत्तरांचल हरियाली दिवस तथा अभियान में रोपित होने वाली प्रजातियों का चयन स्थलीय परिस्थिति के आधार पर होगा परन्तु इनमें स्थानीय महत्व के पौध जैसे आम, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, बांस, बांज, बुरांस, पाकड़, पीपल, बरगद, च्यूरा, काफल आदि को प्राथमिकता दी जाय। वृक्षारोपण के साथ–साथ समारोह में कुछ गड्ढों में बीजारोपण भी कराया जाय जिससे आम, अखरोट, पांगर, बांज आदि प्रमुख होंगे।

6– जो क्षेत्र हरियाली दिवस के दिन पौधारोपण/बीजारोपण के लिए चयनित किये जायें उनमें सुरक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाय। यदि किसी क्षेत्र में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो तो ऐसे क्षेत्रों को वृक्षारोपण के लिए कदापि न लिया जाय। नगर क्षेत्र में स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, कार्यालयों, थानों तथा औद्योगिक परिसरों में स्थान उपलब्ध होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते है। क्योंकि ऐसे परिसर पहले से ही चारदीवारी आदि के द्वारा सुरक्षित रहते है

7– वन विभाग को छोड़कर अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थायें जो अपने बल बूते पर किसी क्षेत्र में वृक्षारोपण करें या वन विभाग के रोपावनी क्षेत्र में रोपण हो जाने पर उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व लें उनकी जिला तथा राज्य स्तर पर प्रमाण पत्र/वैजयन्ती आदि देकर सम्मानित किया जायेगा तथा बाद में वित्त विभाग के परामर्श से नकद या अन्य प्रकार के मूल्यवान पुरस्कार की घोषणा भी की जा सकती है। इसके लिए स्कूल, कालेज, थाना, चिकित्सालय, औद्योगिक संस्थान, विभिन्न कार्यालय, ग्राम पंचायत, वन पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सेवी संस्थायें पात्र होंगी। हरियाली अभियान में भाग लेने वाले विभिन्न प्रतिभागियों को इस स्थिति से पहले से ही अवगत करा दिया जाय।

8– आप से अनुरोध है कि आप इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर वन, पुलिस, सेना, शिक्षा, चिकित्सा, होमगार्ड, आदि विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करके अभियान की अवधि में किये जाने वाले कार्यक्रमों की एक समय सारणी बना लें। बैठक में विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाय क्योंकि नगर क्षेत्रों में रोपित पौधों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक "ट्री गार्ड" के क्रय के लिए अतिरिक्त प्रयास किया जाय कि नगर क्षेत्रों में विभिन्न इच्छुक संस्थायें अपने व्यय पर स्वयं पौधारोपण करें जिसमें वन विभाग द्वारा निःशुल्क तकनीकी सहायता तथा भुगतान के आधार पर पौध उपलब्ध कराये जायेंगे।

9– हरियाली अभियान में आपके जनपद में विभिन्न तिथियों को आयोजित किये जा सके कार्यक्रमों का मीडिया के माध्यम से वृहत प्रचार/प्रसार भी किया जाये।

10– अन्त में आप से यह अनुरोध भी है कि आप अपने जनपद में हरियाली अभियान की उपलब्धियों के बारे में 30–09–2001 तक एक विस्तृत आख्या भी अपने हस्ताक्षरों से शासन को भेजने का कष्ट करें।

भवदीय

आर.एस.टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या 3408(1)/ I. व.ग्रा.वि.2001 दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, विधानसभा।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री तथा माननीय राज्य मंत्रीगण।
5. माननीय सांसद, उत्तरांचल।
6. माननीय विधायक, उत्तरांचल।
7. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत।
8. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
9. प्रमुख सचिव गृह सचिव शिक्षा, चिकित्सा तथा उद्योग विभाग।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल।
11. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल।
12. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तरांचल।
13. समस्त वन संरक्षक, उत्तरांचल।
14. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।

डा0 आर0 एस0 टोलिया
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त